

यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला श्री गंगानगर

बनाम.....

दिनांक...../

अन्तर्गत धारा.....

क्र	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
२४६	अधिवक्तागण उपस्थित। वरत हेतु समय था ११ की अवधि आगामी पेशी रुक बढाई जाती है। पत्रावली वास्ते वरत दिनांक २०/१/२२ को पेश हो।	
२०१	अधिवक्तागण उपस्थित। वरत हेतु समय था ११ की अवधि आगामी पेशी रुक बढाई जाती है। पत्रावली वास्ते वरत दिनांक २२/१/२२ को पेश हो।	
४/२२	अधिवक्तागण उपस्थित। वरत सुनी गई। वरत पर मतन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी/अप्राची का जवाब प्राचीन पत्र बन्द किया गया है। प्राची अधिवक्ता के द्वारा हेस्तगत प्रकरण में जारी अस्थायी निवेधाना को मूलवाद के निणय तक रूपायी बनाए रखे जाने बाबत निवेदन किया है। लिहाजा प्रकरण में दिनांक ०१/०१/२०१६ को जारी अस्थायी निवेधाना को मूलवाद के निणय तक रूपायी किया जाता है। पत्रावली निणति होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ सलग्न हो।	



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

